

107 दंड प्र स

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

मोरखण्ड सरकार  
बनाम

M-57/2017 आदेश पत्रक

अर्जुन पाहन को

27/6/17

अभिलेख संख्या :- एम. 57 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. सं.

223

थाना प्रभारी मुसहूर के अप्राथमिकी संख्या :- 3/17

27/6/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :- रुढ़िवादी पारंपरिक  
असंवैधानिक तरीके से पक्षरंकित पक्षलाडी करने  
विवाद

जिससे संभ्रमण है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या  
विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक  
परिशांति क्षुब्ध हो जायेगी ।

अतः मैं अनुमंडल  
दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0  
स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ । द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना  
निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए  
उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों  
के साथ दाखिल करने हेतु आवेदक को नहीं दिया जाय ।

दिनांक :- 11/7/17 को उपस्थापित करें ।

27/6/17  
अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

2/2  
2/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 06.08.19  
वर्षे खर्चे।

06/08/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पुनः नोक्सि लिमिटेड  
की अग्रणी रिशि 17.08.19 की  
(के) (के)  
06.08.19

17/08/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 21/09/19  
वर्षे खर्चे।

21/09/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 22/10/19  
वर्षे खर्चे।

22/10/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 30.11.19  
वर्षे खर्चे।

30/11/19

द्वितीय पक्ष अनुपस्थित दिनांक 28/12/19  
वर्षे खर्चे। वाद की अग्रणी समझ ही के बाबत  
वाद की वाद वाद - समझ की - जारी है।  
(के)  
30.11.19